

नीतीश कुमार के दो पुराने व विश्वसनीय चेलों, प्रशांत किशोर व आर.सी.पी. सिंह ने हाथ मिलाया

दोनों चेलों ने नीतीश कुमार के ई.बी.सी. वोट बैंक (मुख्य रूप से कुर्मी वोट बैंक) में सेंध लगाने का लक्ष्य लेकर ही हाथ मिलाया है

– श्रीनन्द झा –
– राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो –
नई दिल्ली, 20 मई। राजनीति में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। प्रशान्त किशोर तथा राम चन्द्र प्रसाद सिंह (आर सी पी सिंह), जो पहले कटु प्रतिद्वन्दी थे, ने अपने मतभेद समाप्त कर दिये हैं तथा जे डी यू नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के “इकॉनॉमिकली बैकवर्ड क्लास (ई बी सी) वोट बैंक (खासतौर से कुर्मी वोट बैंक) को तोड़ने के विचार ने उन्हें एक कर दिया है।

लगभग पांच माह बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस पृष्ठभूमि में, उनका एक होना यह प्रदर्शित करता है कि वे राज्य की राजनीति में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए तथा आर जे डी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के विरुद्ध तीसरे विकल्प के रूप में उभरना चाहते हैं। इस घटनाक्रम, अर्थात इस नज़दीकी को नीतीश कुमार के लिए चेतावनी की घंटी के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि आर सी पी और किशोर उनके निकटतम सहयोगी एवं सहायक रहे हैं

■ दोनों चेले, इस नये गठबंधन के सहारे बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले एन.डी.ए. व आर.जे.डी. के नेतृत्व वाले महागठबन्धन के बाद तीसरा स्तम्भ बनना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में।

■ यह घटनाक्रम नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि दोनों चेले, किसी जमाने में नीतीश कुमार के सबसे मजबूत साथी थे, जिन्होंने चार बार नीतीश का ई.बी.सी. वोट बैंक गढ़ा था, और नीतीश की “सुशासन” की छवि बनाने में कामयाबी हासिल की थी।

■ प्रशांत किशोर उस जमाने में जे.डी.यू. के उपाध्यक्ष थे, तथा उनके जे.डी.यू. छोड़ने का एक बड़ा कारण आर.सी.पी. सिंह थे।

■ आर.सी.पी. सिंह व प्रशांत किशोर के बीच इतनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, कि आर.सी.पी. सिंह ने प्रशांत किशोर पर तीखी टिप्पणी की थी कि, प्रशांत एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया।

तथा उन्होंने जे डी यू के लिए ई बी सी वोट बैंक बनाने में बहुत मदद की है। यही नहीं, इन दोनों ने नीतीश कुमार की “सुशासन” व्यक्ति की छवि भी बनाई है।

आर सी पी मुख्यमंत्री कुमार की तरह “कुर्मी” ही हैं तथा दोनों ही तान्त्रिका से है। एक समय, आर सी पी, जे डी यू में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता माने जाते थे

और, कुछ समय तक पार्टी अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर उनके नीतीश से मतभेद हो गए। इसी प्रकार, प्रशान्त किशोर एक समय जे डी यू के उपाध्यक्ष थे तथा उनके जे डी यू को छोड़ने का एक कारण आर सी पी के साथ उनकी प्रचंड प्रतिद्वन्द्विता भी बताई जाती है। उस समय आर सी पी ने किशोर का अपमान करते हुए, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बताया था, “जिसका बिहार के लिए कोई योगदान नहीं है।”

पर रविवार के दिन, उनकी सारी पुरानी शत्रुता और प्रतिद्वन्द्विता पीछे छूट गई तथा सिंह ने घोषणा की कि वे किशोर की “जन सुराज पार्टी (जे एस पी) में अपनी अल्पज्ञात पार्टी “आप सबकी आवाज” का विलय कर रहे हैं।

पर्यवेक्षकों का कहना है, “आर सी पी के जे एस पी में आने से कुर्मी मतदाताओं में जे एस पी की संभावनाएं तो काफी बढ़ ही जायेंगी, इसके साथ ही, ऐसे समय पर, जब किशोर सारे समुदायों को मिलाकर एक सामाजिक संयोजन की स्थिति लाने की कोशिश कर रहे हैं, आर सी पी की संगठनात्मक क्षमताओं से उन्हें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट ने परकोटे के 19 भवनों की पालना रिपोर्ट मांगी

जयपुर, 20 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की चारदीवारी के आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों के चलते अवैध तौर पर चिन्हित किए 19 भवनों के मामले में राज्य सरकार को 25 फरवरी के आदेश की पालना के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व आनंद शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान में भवन मालिकों की ओर से दिए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के एएजी जीएस गिल ने कहा कि 19 भवन

■ जयपुर की चारदीवारी के आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चिन्हित 19 भवनों के मामले में 25 फरवरी को आदेश दिया था।

मालिकों में से अभी 10 का ही पक्ष सुन पाए हैं और 9 भवन मालिकों का पक्ष जानना बाकी है। इसलिए अदालत राज्य सरकार को तीन महीने का समय दे। इसका विरोध करते हुए न्याय मित्र शोभित तिवाड़ी ने कहा कि पालना रिपोर्ट के लिए तीन महीने का समय ज्यादा है। इस दौरान मामले से जुड़े सीनियर एडवोकेट विमल चौधरी ने कहा कि प्रभावितों ने अदालत से तथ्य छिपाए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिरसी रोड बायपास से झारखंड मोड़ तक अतिक्रमण कब हटेगा

जयपुर, 20 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने 200 फीट सिरसी रोड बाईपास से झारखंड मोड़ के बीच शेष बचे अतिक्रमणों को हटाने की जानकारी मांगी है। अदालत ने जेडीए से 23 मई तक बताने को कहा है कि शेष बचे दस फीसदी अतिक्रमणों को कब और कैसे हटाया जाएगा। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में जेडीए से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विजय कुमार की

■ हाईकोर्ट ने जेडीए से 23 मई तक बताने को कहा।

अवमानना याचिका पर दिया।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी से पूछा कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इस पर जेडीए की ओर से कहा गया कि मौके से 90 फीसदी अतिक्रमणों को हटा दिया है। वहीं, 9 अप्रैल को कार्रवाई के दौरान जेडीए को अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कार्रवाई को आगे टालने का निर्णय लिया था। इस मामले में जेडीए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने “ ऑपरेशन सिन्दूर ’’ पर भाजपा सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया

■ कांग्रेस के अनुसार प्र.मंत्री ने गत ग्यारह साल में 151 विदेश यात्राएं कीं, 72 देश गये, जिनमें अमेरिका की दस यात्राएं भी शामिल हैं, पर आतंकवादी हमले के सन्दर्भ में भारत के पक्ष में खड़ा होने के लिए कोई देश तैयार नहीं हुआ।

■ आई.एम.एफ. ने पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर की सहायता का पैकेज देना स्वीकार किया, लेकिन, यह जानते हुए कि इस रकम का उपयोग पाकिस्तान आतंकवादियों को तैयार करने पर खर्च करेगा, भारत यह पैकेज नहीं रुकवा सका।

■ बार-बार ट्रम्प दावा कर रहे हैं, कि उन्होंने मध्यस्थता कर भारत-पाक के बीच सीज़ फायर करवाई, पर भारत अनगूँठ बयानबाजी का भी प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दे पाया।

■ इसी प्रकार, विदेश मंत्री की यह स्वीकारोक्ति, कि उन्होंने पाकिस्तान पर हवाई बमबारी करने से पहले पाकिस्तान को पूर्व सूचना दी, एक बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत थी।

खेड़ा द्वारा उठाए गए प्रमुख सवालों में शामिल थे: ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को जानकारी क्यों दी गई, जबकि भारत के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे

पूँछ में नागरिकों को कोई सूचना नहीं दी गई? क्या इस चेतावनी ने मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भागने में मदद की? कितने आतंकी भागे

और इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना नुकसान हुआ?

कांग्रेस, सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक युद्धिवराम की घोषणा के बाद से ही लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। यह सैन्य कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू की गई थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने भी खेड़ा के सवालों को दोहराते हुए एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं के बावजूद, भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग पड़ा है।

उन्होंने कहा, “फिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 विदेशी दौर किए और वे 72 देशों में गए, जिनमें अमेरिका की 10 यात्राएं शामिल है। फिर भी जब भारत को पाकिस्तान की सीमा-पार आतंकवाद में भूमिका उजागर करने के लिए वैश्विक समर्थन की आवश्यकता थी, तब कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ।”

उन्होंने पाकिस्तान को दिए गए 1.4 अरब डॉलर के राहत पैकेज को भारतीय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अधीक्षण अभियंता का ऑफिस सील हो और वह बाहर बैठकर काम करें

जयपुर, 20 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचईडी की जनता जल योजना में कार्यरत रहे पंप चालकों को अदालती आदेश के बावजूद भी न्यूनतम वेतन नहीं देने पर कड़ा रुख अपनाया है।

■ हाईकोर्ट ने सीकर डीजे को पी.एच. ई. डी. अधीक्षण अभियंता के बारे में निर्देश दिये।

■ पंप चालकों के न्यूनतम वेतन के संबंध में अदालत ने 2020 में आदेश दिये थे, जिनकी आज तक पालना नहीं हुई।

अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधीक्षक अभियंता, सीकर सर्किल ने अदालती आदेश की जानबूझकर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)